भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4413

23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण

4413. श्री चन्द्रशेखर साहू:
श्री बिद्युत बारन महतो:
श्री राजेन्द्र ढेडया गावित:
श्री संजय सदाशिवराव मंडलीक:
श्री श्रीरंग अप्पा बरने:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राज्यों में फसल अवशेष के स्वस्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं जिनके अंतर्गत राज्यों को ऐसी सहायता प्रदान की जाती है, की प्रमुख विशेषताएं क्या है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को सहायता हेतु आवंटन के लिए निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) कृषि उत्पादों में उक्त राज्यों के योगदान का ब्यौरा क्या है जिसके लिए केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार की सहायता प्रदान की गई है; और

(ड.) इस योजना में शामिल नहीं किए गए राज्य किस प्रकार फसल अवशेष का प्रबंधन कर रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में रबी फसल बुवाई के लिए खेतों को खाली करने हेतु किसानो द्वारा धान की पराली को जलाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारों के वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सबसिडी देने के प्रयासों का समर्थन करते हुए, वर्ष 2018-19 से 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण का

संवर्धन' नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना लागू की गई है । इस योजना के तहत किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी की खरीद के लिए मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना के लिए किसानो की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), पंजीकृत किसान समितियों और पंचायतों को परियोजना लागत का 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत उपलब्ध केंद्रीय निधियों को राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं और राज्य के निधि उपयोग की स्थिति के आधार पर राज्यों को आवंटित किया जाता है। इस योजना के तहत, वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान, 30961 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किए गए हैं और इन चार राज्यों के कस्टम हायरिंग केन्द्रों और व्यक्तिगत किसानों को कुल 1.5 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है।

(घ): कृषि सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार, भारत के कुल धान उत्पादन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों का योगदान क्रमशः 9.91 प्रतिशत, 4.06 प्रतिशत और 13.05 प्रतिशत था।

(ङ): कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग सभी राज्यों में कृषि यांत्रिकीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) का कार्यान्वयन कर रहा है और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए चिन्हित मशीनों जैसे कंबाइन हार्वेस्टर के लिए सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस), हैप्पी सीडर्स, हाइड्रॉलिकली रिवर्सेबल एमबी प्लो, पैडी स्ट्रॉ चॉपर/श्रेडर, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लेशर, जीरो टिल सीड ड्रिल, रोटावेटर, सुपर सीडर, क्रॉप रीपर/रीपर बाइंडर, स्ट्रॉ बेलर और रेक को भी एसएमएएम के तहत वित्तीय सहायता के लिए शामिल किया गया है।

*****